उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-118/2017/1203/92-2-2017-02आरई/2011

लखनऊ :: दिनांक:: 17 जुलाई,2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत फेज-7 के पैकेज संख्या-यू0पी0-4379 में अपग्रेडेशन का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-3, कुशीनगर द्वारा सम्पर्क मार्ग सलेमगढ से मठिया श्रीराम के स्वीकृत लम्बाई 12.08 किमी0 के आगे 1.185 किमी0 अतिरिक्त मार्ग उखडवाने तथा निर्माण कार्य का समुचित पर्यवेक्षण न करने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3960/62-3-10-02आरई/2011 दिनांक 03-03-2011 द्वारा श्री रामाश्रय सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-3, कुशीनगर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद के पत्र दिनांक 01-02-2012 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित मात्र एक आरोप स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 11-06-2012 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम -9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 09-11-2015 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। शासन के पत्र दिनांक 26-05-2016 द्वारा प्रकरण में निहित शासकीय क्षति के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से आख्या मांगी गयी, जो उनके पत्र दिनांक 01-04-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

3- इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री रामाश्रय सिंह के अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 31-01-2014 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-06-2017 द्वारा श्री सिंह के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित कर दिया गया।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन, निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही पाया गया। अतएव कार्यालय ज्ञाप संख्या-3960/62-3-10-02आरई/2011 दिनांक 03-03-2011 द्वारा श्री रामाश्रय सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-3, कुशीनगर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

को बिना किसी दण्ड के एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-118/2017/1203(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री रामाश्रय सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-3, कुशीनगर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।